न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री समदरसिंह भाटी,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 272/2022

प्रार्थीनी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

मांगी देवी पुत्री पुनमाराम पत्नि देदाराम उम्र 58 वर्ष जाति जाट निवासी शक्ति नगर (टाकू बेरी) तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर राज.	1. मुली देवी बैवा पुनमाराम उम्र 80 वर्ष जाति जाट विासी शक्ति नगर (टाकू बेरी) तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 2. नाथाराम पुत्र मेघाराम उम्र 80 वर्ष जाति जाट 3. पारू देवी पत्नि लाधाराम उम्र 81 वर्ष जाति जाट 4. हरखाराम पुत्र लाधाराम उम्र 55 वर्ष जाति जाट 5. हिमथाराम पुत्र लाधाराम उम्र 60 वर्ष जाति जाट 6. मिरगों पत्नि भैराराम उम्र 74 वर्ष जाति जाट 7. बाबुलाल पुत्र भैराराम उम्र 37 वर्ष जाति जाट 8. सताराम पुत्र भैराराम उम्र 27 वर्ष जाति जाट निवासी शक्ति नगर (टाकू बेरी) तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर राज.

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल चोधरी, अधिवक्ता प्रार्थीनी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता विप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक– 08.10.2025

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि वकील प्रार्थीनी ने तर्क दिए कि उनकी ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है,कि प्रार्थीनी वकील ने अपने आवेदन के तथ्यों [illegible] हुए अभिकथन किया कि राजस्व ग्राम शक्तिनगर (टाकूबेरी) के खेत खसरा नम्बर 88 [illegible] 89 कुल रकबा 123.11 बीघा में प्रार्थी के पिता का 1/3 हिस्सा था प्रार्थीनी के पिता के [illegible]वास के बाद म्यूटेशन संख्या 157 दिनांक 05.10.1993 को अकेली विप्रार्थीनी संख्या 01 [illegible] किया गया, जबकि प्रार्थीनी स्व० पुनमाराम की इकलौती संतान थी प्रार्थीनी को [illegible] सगी माता विप्रार्थीनी संख्या 01 के साथ संयुक्त रूप से आधे–आधे हिस्से की जमीन का नामान्तकरण भरा जाना चाहिये था इस प्रकार प्रार्थीनी हिन्दु उत्तराधिकार व राज. का.अधि. की धारा 40 के तहत अपने पिता की सम्पति में उतराधिकारी होने से पिता की सम्पति की आधे हिस्से वैधानिक रूप से हकदार थी मौके पर विप्रार्थी संख्या 01 के साथ प्रार्थीनी भी अपने पिता की भूमि पर संयुक्त रूप से काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 13:46:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

करती आ रही थी। पुस्तैनी ढाणी में रहवास भी था इस प्रकार मौके पर प्रार्थीनी का कब्जा काश्त होने व अपने पिता की सम्पति में आधे हिस्से की हकदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष का हैं। कि विप्रार्थीगण संख्या 06 से 08 ने छल कपट व धोखे से विप्रार्थीनी संख्या 01 को बहला फुसला कर बिना प्रतिफल दिये दिनांक 21.10.2022 को विप्रार्थीनी के हिस्से की भूमि 20.10 बीघा के स्थान पर 37 बीघा भूमि अपने हक में अधिक भूमि का बैचान करवा लिया यह बैचान प्रथम रूप से शुन्य व प्रभावहीन हैं व निष्प्रभावी हैं इस शुन्य व प्रभावहीन बैचान के आधार पर विप्रार्थी प्रार्थीनी के हक की जमीन को हड़प करने, उसको कब्जा–काश्त से बेदखल करने पर आमदा हैं व लगातार वादीनी को उसके हक से महरूम रखने व कब्जा काश्त से बेदखल करने की लगातार धमकियां दी जा रही हैं जबकि प्रार्थीनी के अपने पिता की सम्पति में 20.10 बीघा भूमि पर वैधानिक रूप से उत्तराधिकार के आधार पर हकदार हैं मौके पर कब्जा हैं अगर इस शुन्य व प्रभावहीन बैचान के आधार पर नामान्तकरण स्वीकृत करवा लिया तो विप्रार्थीगण, प्रार्थीनी के कब्जे की भूमि पर प्रार्थीनी को बेदखल कर कब्जा कर लेगेंगे, जिससे प्रार्थीनी को अपूर्णीय आर्थिक, मानसिक व शारीरिक क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति नकदी में किया जाना संभव नहीं होगा। इस प्रकार अपूर्णीय क्षति का मामला भी प्रार्थीनी के पक्ष का हैं। जबकि इसके विपरीत बिना प्रतिफल दिये धोखे व छल कपट से करवाये गये बैचान के आधार पर विप्रार्थीगण को कोई क्षति नहीं होगी। कि प्रथम दृष्टया मामला व अपूर्णीय क्षति के दोनों बिन्दु प्रार्थीनी के पक्ष के होने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष का हैं। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण संख्या 06 से 08 के द्वारा विप्रार्थीनी संख्या 01 के भुलावे में रख कर छल कपट व धोखे से बिना प्रतिफल दिये विप्रार्थीनी संख्या 01 के बुढापे व अनपढ होने का फायदा उठा कर गलत रूप से उसके हक से अधिक भूमि का दिनांक 21.10.222 को बैचान करवाया हैं उस बैचान के आधार पर ता फैसला वाद विप्रार्थीगण संख्या 06 से 08 के नाम नामान्तकरण नहीं खोला जावें। प्रार्थीनी को अपने कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करे, मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला वाद प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 के विरूद्ध जारी की जावें।

प्रार्थीनी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को जवाबका पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं करने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस सुनी गई।

हमनें प्रार्थीनी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरता से अवलोकन एवं तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा ग्राम शक्तिनगर (टाकूबेरी) के खेत खसरा नम्बर 188 व 189 कुल रकबा 123.11 बीघा में प्रार्थी के पिता का 1/3 हिस्सा था प्रार्थीनी के पिता के स्वर्गवास के बाद म्यूटेशन संख्या 157 दिनांक 05.10.1993 को अकेली विप्रार्थीनी संख्या 01 के नाम से भर दिया गया, जबकि प्रार्थीनी स्व० पुनमाराम की इकलौती संतान थी प्रार्थीनी का अपनी सगी माता विप्रार्थीनी संख्या 01 के साथ संयुक्त रूप से आधे–आधे हिस्से की जमीन का नामान्तकरण भरा जाना चाहिये था इस प्रकार प्रार्थीनी हिन्दु उत्तराधिकार व राज. का.अधि. की धारा 40 के तहत अपने पिता की सम्पति में उतराधिकारी होने से पिता की सम्पति की आधे हिस्से वैधानिक रूप से हकदार थी मौके पर विप्रार्थी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 13:46:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर,
SDO सिणधरी

01 के साथ प्रार्थीनी भी अपने पिता की भूमि पर संयुक्त रूप से काश्त करती आ रही थी। पुस्तैनी ढाणी में रहवास भी था इस प्रकार मौके पर प्रार्थीनी का कब्जा काश्त होने व अपने पिता की सम्पति में आधे हिस्से की हकदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष का हैं। कि विप्रार्थीगण संख्या 06 से 08 ने छल कपट व धोखे से विप्रार्थीनी संख्या 01 को बहला फुसला कर बिना प्रतिफल दिये दिनांक 21.10.2022 को विप्रार्थीनी के हिस्से की भूमि 20.10 बीघा के स्थान पर 37 बीघा भूमि अपने हक में अधिक भूमि का बैचान करवा लिया यह बैचान प्रथम रूप से शुन्य व प्रभावहीन हैं व निष्प्रभावी हैं इस शुन्य व प्रभावहीन बैचान के आधार पर विप्रार्थी प्रार्थीनी के हक की जमीन को हड़प करने, उसको कब्जा–काश्त से बेदखल करने पर आमदा हैं व लगातार वादीनी को उसके हक से महरूम रखने व कब्जा काश्त से बेदखल करने की लगातार धमकियां दी जा रही हैं जबकि प्रार्थीनी के अपने पिता की सम्पति में 20.10 बीघा भूमि पर वैधानिक रूप से उत्तराधिकार के आधार पर हकदार हैं मौके पर कब्जा हैं अगर इस शुन्य व प्रभावहीन बैचान के आधार पर नामान्तकरण स्वीकृत करवा लिया तो विप्रार्थीगण, प्रार्थीनी के कब्जे की भूमि पर प्रार्थीनी को बेदखल कर कब्जा कर लेगेंगे, जिससे प्रार्थीनी को अपूर्णीय आर्थिक, मानसिक व शारीरिक क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति नकदी में किया जाना संभव नहीं होगा। जंहा तक प्रार्थीनी की इस्तदुआ अनुसार वादग्रस्त भूमि पैतृक पुश्तैनी होने पर उनका हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत खातेदारी हिस्सा होने अथवा नहीं होने का निस्तारण मूल वाद के जरिये साक्ष्य/सबूतों के आधार पर पक्षकारान की सुनवाई उपरांत निर्णित किया जाना है,परन्तु प्रथम दृष्टया प्रार्थिनी द्वारा अपने अभिकथनों के अनुसार यदि दौराने विचारण वाद पैतृक एवं संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि के बैचान अथवा मौका स्थिति में रद्दोबदल इत्यादि होने से राजस्व रेकर्ड की स्थिति में फेरबदल हो जाता है,तो प्रार्थीगण को क्षति होनी की संभावना बढती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में निहीत होने से स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें अस्थाई स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे मौजा शक्तिनगर पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खसरा नम्बर 188 रकबा 0.0162 हेक्टयर व खसरा नम्बर 189 रकबा 19.8933 हेक्टयर कुल रकबा 19.9095 हेक्टयर भूमि के संबंध में किसी प्रकार का हस्तान्तरण यथा बेचान इत्यादि नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 13:46:57 IST
Reason: SelfAttested

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को लिखा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी